...nline Limited
Joint venture of Govt. of Madhya Pradesh and TCS
मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल

कियोस्क आवेदन एवं आवंटन संबंधी आवश्यक जानकारी

- एमपीऑनलाइन www.mponline.gov.in का कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरना अनिवार्य है। कियोस्क लेने के इच्छुक आवेदक अपनी समस्त जानकारी ऑनलाइन कियोस्क पंजीयन फार्म में मूल दस्तावेज अनुसार सही-सही भरें।
- आवेदन फार्म में गलत एवं अधूरी जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।
- आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये एवं कम्प्यूटर का प्राथमिक ज्ञान सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में पारंगत होना अनिवार्य है।
- कियोस्क स्थापना के लिए दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे में कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, बायोमेट्रिक्स डिवाइस, वेबकैमरा, इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप सुविधा होना अनिवार्य है।
- उत्कृष्ट कम्प्यूटर सेटअप वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे में नागरिकों को बैठने एवं पेयजल व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- आवेदक की दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे तथा उस क्षेत्र में पहले से स्थापित एमपीऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बीच सामान्यतः 100 मीटर की दूरी होना चाहिये, परंतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने ऑनलाइन सेवाओं में हो रही वृद्धि एवं हाईफुटफाल वाले क्षेत्रों में नागरिकों की बढ़ती संख्या के आधार पर एमपीऑनलाइन द्वारा शिथिल की जा सकती है, जिस पर अंतिम निर्णय एमपीऑनलाइन द्वारा किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा भरे गये फार्म के आधार दुकान का सर्वे किया जावेगा, सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार कियोस्क आवंटन करने पर विचार किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा अपने फार्म की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- समस्त मापदंड पूर्ण होने पर नियमानुसार कियोस्क आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
- कियोस्क आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।